न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–126 / 2022 — दायर दिनांकः 05.07.2022

GCMS NO:- 2022/253 — पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रामप्रसाद आ0 जुगलकिशोर जाति ब्राह्मण नि0 बोरदा हाल कोटा–

प्रार्थी

बनाम

1. राजू आ0 जग्गाराम जाति मीणा नि0 बोरदा
2. शोजी आ0 मोरपाल जाति मीणा नि0 बोरदा।
3. हंसराज आ0 मोरपाल जाति मीणा नि0 बोरदा।
4. श्रीमान तहसीलदार साहब, तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111,128 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र नागर

निर्णय दिनांक 22.04.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बोरदा पटवार हल्का नाहरगंज में खसरा नम्बर 542 रकबा 5.9866 हैक्टयर स्थित है जो राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र जुगलकिशोर हि0 पूर्ण जाति ब्रा0 गुजराती सा0 कोटा खातेदार दर्ज है।

यह कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे उक्त भूमि के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की भूमि होना बताया जिस पर सीमा को लेकर विवाद एवं जबरन प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने से प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस, सीमाज्ञान किया गया आवेदन की प्रति आदि पेश किये है।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा पूर्व मे ही सीमाज्ञान का आवेदन किया गया था लेकिन सीमाज्ञान नही होने की स्थिति मे प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का धारा 111, 128 एल आर एक्ट के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम बोरदा पटवार हल्का नाहरगंज में खसरा नम्बर 542 रकबा 5.9866 हैक्टयर भूमि का बाद सीमाज्ञान यदि प्रार्थीया को भूमि पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवॉं